## राजस्थान सरकार
## नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

जयपुर, दिनांक : 25 APR 2023

क्रमांकः प.3(55)नविवि/3/2002पार्ट

### आदेश

बजट घोषणा 2023–24 की पालना में शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र (प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगरपरिषद्/नगरपालिका) में नवीन मण्डियों/गौण मण्डियों एवं फूडपार्क के लिये भूमि आवंटन नीति–2015 के तहत भूमि आंवटन आरक्षित दर/DLC की 25 प्रतिशत दर पर किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

यह 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा संबंधित निकाय को उपलब्ध करायी जाएगी, जिससे मंडियों को निःशुल्क भूमि प्राप्त हो सके।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं विपणन विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
12. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
13. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
14. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
15. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
16. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
17. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम